"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 814] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर 2019 — अग्रहायण 7, शक 1941

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 (अग्रहायण 7, 1941)

क्रमांक-12622/वि. स./विधान/2019 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) जो गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 21 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019

छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) अधिनियम 2019 कहलाएगा.

(2) यह 1 अगस्त, 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त हुआ माना जायेगा.

अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) में, अनुसूची के मद 19 की सारणी में, -

(एक) सरल क्रमांक 22 में, शब्द "बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण" के स्थान पर, शब्द "बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) सरल क्रमांक 23 में, शब्द "सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण" के स्थान पर, शब्द "सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(तीन) सरल क्रमांक 128 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"129 छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण.
130. मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण."

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, छत्तीसगढ़ विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्र. 16 सन् 1967) की अनुसूची के निर्वचन के संबंध में कतिपय शंकाएं व्यक्त की गई है. ऐसी शंकाओं को दूर करने तथा राज्य शासन के अधीन कुछ लाभ के पदों को उक्त अधिनियम की अनुसूची के मद 19 की सारणी में सम्मिलित करने के लिए, उक्त अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, जिससे ऐसे पदों के धारक, विधान सभा के सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने से निरर्हित न हों.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 25 नवम्बर, 2019

रविन्द्र चौबे
संसदीय कार्य मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967 (क्रमांक 16 सन् 1967) की अनुसूची के मद 19 के सरल क्रमांक 22, 23 एवं 128 का सुसंगत उद्धरण :-

अनुसूची

सरकार के अधीन लाभ के पदों की सूची
[धारा 3 (1) देखिये]

* * * * * * * * * * * * *

19. निम्नलिखित कानूनी निकाय या समिति के सभापति और उपसभापति या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या निदेशक और प्रबंध निदेशक या सदस्य सचिव या सचिव या सदस्य का पद :-

* * * * * * * * * * * * *

22. बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण.
23. सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण.

* * * * * * * * * * * * *

128. तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड.

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.